

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक-3363/12-1, दिनांक, कालसी, 06/06/2026

सेवा में

वन संरक्षक,  
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

**विषय :** जनपद-देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला-मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ :** आपके कार्यालय का पत्रांक-1986/12-1, दिनांक 09.01.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण हेतु विचाराधीन है। आपके कार्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सापेक्ष कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति इंगित की गई है। सन्दर्भित पत्र में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है-

बिन्दु	आपत्ति	प्रत्युत्तर
i.i	प्रस्तावित ग्राम आमवाला-मल्लावाला साल के घने वन क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	इस कार्यालय के पत्रांक-1815/12-1, दिनांक 03.01.2026 के द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु आपको प्रेषित की जा रही है (संलग्नक-1)।
i.iii	ग्राम पष्ठा से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है, जिस वैकल्पिक समरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पष्ठा से वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाय।	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1702/25सी0 (व0भू0), दिनांक 27.05.2022 से अवगत कराया गया कि उक्त बिन्दु का प्रमाण-पत्र ऑनलाईन <b>Additional information Details</b> संख्या-26 में अपलोड किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
i.iv	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के0एम0एल0 फाईल पर अंकित किया जाए।	प्रभाग की चालू कार्ययोजना के Volume-II (Appendix) के पृष्ठ संख्या-410 में प्रश्नगत मोटर मार्ग पैदल बटिया के रूप में अंकित है। वर्तमान में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा उक्त पैदल बटिया का उपयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है। उक्त पैदल बटिया मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के लिए ही प्रस्तावित है।  अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1138/25सी0, दिनांक 18.03.2026 से अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण मार्ग की के0एम0एल0 पूर्व में ही पार्ट-I में अपलोड किया जा चुका है, जिसमें वैकल्पिक संरेखण नीले से एवं संरेखण में आने वाले लाभान्वित ग्राम क्रमशः पष्ठा, आमवाला-मल्लावाला एवं पीपलसार को पीले रंग से दर्शाया गया है।

बिन्दु	आपत्ति	प्रत्युत्तर
3	Blank space plantation scheme of Rs. 650000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to proposal the estimate for CA only as per the guideline.	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण के साथ-साथ रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रेषित किया था। उक्त प्रस्ताव से रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन पृथक कर केवल क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि आपके कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जा रही है कि उक्त आख्या को प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।


भवदीय,

प्रभोगीय वनाधिकारी,  
कालसी भू०सं० वन प्रभाग,  
कालसी।

परियोजना का नाम : जनपद देहरादून के विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।  
(Online No. FP/UK/126632/2021)

## अतिक्रमण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में प्रस्तावित मोटर मार्ग साल के घने क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन क्षेत्र के मध्य स्थित है तथा उक्त मार्ग का प्रयोग वन कर्मियों द्वारा जंगल गश्त तथा ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु पूर्व से प्रयोग किया जा रहा है। आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

  
(मयंक कुमार)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
कालसी भू०सं० वन प्रभाग,  
कालसी।

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना**

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं० ख-1065/3-5-2, दिनांक 28/04/2028 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु प्राक्कलन 1100 पौध/है० @ 5,97,341.00 वसूली वर्ष 2026-27 के अनुसार।

परियोजना का नाम- जनपद-देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला-मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम ग्राम-पष्ठा सिविल भूमि 7.91 है०

प्रथम चरण/वर्ष					
क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टेयर	1.00	300.00	300.00
2	लैण्टाना झाड़ी कटान काय।	प्रति है०	1.00	7810.00	7810.00
3	चैक प्लॉटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है० से अधिक का नहीं होगा)	हैक्टेयर	1.00	886.00	886.00
4	अग्नि दीवाल बन्दी (फेसिना) 150 र०मी० (0.45+0.60)/2X1.20 = 94.50 घमी०	प्रति घमी०	94.50	933.00	88168.50
5	गड्डों का संरक्षण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकडा	1100	89.00	979.00
6	गड्डा खुदान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्डा	1100	16.00	17600.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	1210	27.22	32936.20
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकडा	1100	78.00	858.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अन्य व्यय-				
	1-निरीक्षण बटियां	प्रति है०	1.00	1593.00	1593.00
	2-रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि	प्रति है०	1.00	2500.00	2500.00
	<b>योग-प्रथम चरण</b>				<b>167980.70</b>

**द्वितीय चरण/वर्ष**

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड्डों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्डा	1100	1.95	2145.00
2	पौधों की लदाई-उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकडा	1210	1.37	16.58
3	पौध दुलान 10 प्रतिशत दुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	1210	12.77	15451.70
4	पौध रख-रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	1210	3.24	3920.40
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित	प्रति पौध	1100	5.80	6380.00
6	रोपण के पश्चात लैण्टाना झाड़ी कटान एवं फुकान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
7	निराई-गुडाई मल्लिंग व थावलाबन्दी				
	प्रथम बार	प्रति पौध	1100	5.31	5841.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	1100	2.31	2541.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु	प्रति है०/प्रतिमाह	9	1241.50	11173.50
9	जल मृदा संरक्षण हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य करना।	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
11	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है०	1.00	4000.00	4000.00
	<b>योग-द्वितीय चरण</b>				<b>70716.18</b>
	<b>कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण</b>				<b>238696.88</b>

तृतीय चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्लिंग, होईंग (2 बार)	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	12.00	3909.00	46908.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	12.00	988.00	11856.00
योग-तृतीय चरण					82044.00

चतुर्थ चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्लिंग, होईंग	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
योग-चतुर्थ चरण					28177.00

पंचम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	25518.00
योग-पंचम चरण					41404.00

षष्ठम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	25518.00
योग-षष्ठम चरण					41404.00

सप्तम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	25518.00
योग-सप्तम चरण					41404.00

अष्टम चरण / वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय व्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	25518.00
योग-अष्टम चरण					41404.00

नवम चरण / वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय व्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	25518.00
योग-नवम चरण					41404.00

दसम चरण / वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय व्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	25519.00
योग-दसम चरण					41405.00
कुल योग					597341.88
या					597341.00

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक ख-1065/3-5-2, दिनांक 28/04/2026 के अनुसार वर्ष 2026-27 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है० रु० 5,97,341/- स्वीकृत है।


7.91 हैक्टर x 597341.00 = 5724967.00


₹ 4724967.31

या

₹ 4724967.00

(रूपये सैंतालीस लाख चौबीस हजार नौ सौ सड़सठ रूपये मात्र)

  
मानविकार  
भूमि संरक्षण वन प्रभाग  
कालसी, देहरादून।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कालसी भू०सं० वन प्रभाग  
कालसी